



BCCB BARMER

दी बाड़मेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बाड़मेर
THE BARMER CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., BARMER
प्रधान कार्यालय महावीर नगर बाड़मेर



International Year
of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

Website: <https://www.ccbbarmer.in/> E-mail: DCCB.BARMER@RAJASTHAN.GOV.IN Phone -02982-220461,220345 (O.)

RBI License No. RSCD.(JRP).Co-op.04

बीसीसीबी/नि.प./2024-25/

दिनांक:-28.02.2025

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) नॉमर्स पूर्ति बाबत सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार "अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.)" एवं धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA) एवं संशोधित धनशोधन निवारण अधिनियम 2005 के तहत बैंक के समस्त खाताधारकों की जानकारी अद्यतन किया जाना एवं के.वाई.सी. मापदण्डों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। अतः बैंक के सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि बैंक की जिस शाखा में आपका खाता संधारित है, उसमें के.वाई.सी. मानकों की पूर्ति करने हेतु निम्न दस्तावेज बैंक शाखा में उपस्थित होकर आगामी 15 दिवस में जमा करवा दें-

1. आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वेतन पर्ची/आयकर या धन सम्पदा का निर्धारण/बिजली बिल/टेलिफोन बिल/ प्रतिश्रित नियोक्ताओं का पत्र।
2. आधार कार्ड या पेन कार्ड।
3. नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
4. मोबाईल नम्बर।

यदि के.वाई.सी. दस्तावेज बैंक शाखा में जमा करवा चुके हैं तो इसे अनदेखा करें। निर्धारित अवधि में के.वाई.सी. नॉमर्स की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य में किए जाने वाले लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है, जिस पर होने वाली असुविधा के लिए खाताधारक स्वयं जिम्मेदार होगा।

प्रबन्ध निदेशक

Document certified by VASUDEV
PALIWAL <vdp.coop@gmail.com>.

Digitally Signed by VASUDEV
PALIWAL
Designation: Managing Director
Date :28-02-2025 06:04:26